राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सायर 895/2025, 896/2025 बनाम मैसर्स रुद्रा कन्ट्रक्शन हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 895/2025 एवं 896/2025 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है	अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर दोनों अपीलो का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया	रेस्पो. संख्या 3 ने भी अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर दोंनो अपीलो का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया	शेष रेस्पो. की ईकजाई मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर सुनी गयी	अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है	पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/02/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
25/02/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09/05/2025 पारित करते हुये तहसीलदार कालवाड़ को विवादग्रस्त भूमि आराजी खाता संख्या नया 264 पुराना 251 के खसरा नम्बर 76 रकबा 2.0614 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 2.0614 वाके ग्राम रामसिंहपूरा , पटवार हल्का बेगस, भू.अ.नि.क्षेत्र मुण्डियारामसर, तहसील कालवाड़, जिला जयपुर राजस्थान स्थित में विधि सम्मत मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर सभी सहखातेदारों को विधिवत सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुये तकासमा कर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये	जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12/06/2025 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया	जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09/05/2025 के विरुद्ध अपील संख्या 895/2025 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12/06/2025 के विरुद्ध अपील संख्या 896/2025 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है	जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की ईकजाई मौखिक बहस दोनों अपीलों पर सुनी गयी चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों द्वारा इकजाई राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

रूप से बहस की गयी है | अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार दोनों पक्षों की उपस्थिति में बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये कुर्रेजात तैयार किये जाने के आदेश प्रदान करते हुये अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है | ऐसी स्थिति में उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है | जहाँ तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तिम निर्णय डिक्री का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री के माध्यम से सहखातेदारान का जो अलग-अलग खाता/लगान कायम किया गया विभाजन उचित एवं विधिसंगत प्रतीत होता है, जिसमे कोई त्रुटी जाहिर नही होती है | सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक एवं न्यायोचित्त प्रक्रियां है ऐसेमें अपीलार्थी द्वारा जिन तकनीकी बिन्दुओ को उद्धरित कर विभाजन की अन्तिम डिक्री को चुनौती दी गयी है, उन्हें स्वीकार किया जाना उचित नही समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09/05/2025 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12/06/2025 विधिसम्मत एवं उचित प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले क्रमश: 895/2025 व 896/2025 अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 25/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर